म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / 16 / 2 / ब / 1013 भोपाल,दिनांक 01 / 12 / 14

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)
(म0प्र0)

विषय :– कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने प्रांगण की भूमि के उपयोग के संबंध में निर्देश।

—000—

कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने प्रांगण की भूमि के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव एकल नस्ती के माध्यम से दिनांक 11.08.2008 को प्रमुख सचिव म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। अपर सचिव म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने पत्र दिनांक 14.08.2008 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

इस संबंध में कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने प्रांगण की भूमि के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव संचालक मंडल द्वारा 110 वीं बैठक दिनांक 21.01.2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कृषि उपज मंडी समितियों / उपमंडी के पुराने प्रांगण की भूमि के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार निर्देशो के अनुसार कार्यवाही की जाना है :–

"मंडी समितियों के पुराने प्रांगण के विकय / व्यवसायिक उपयोग से प्राप्त कुल राशि में से आधी राशि संबंधित मंडी समिति को उसके नवीन प्रांगणों में अधोसंरचना विकास कार्यो व अन्य देनदारियों के निराकरण के लिये उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि मंडी बोर्ड स्तर पर एक कारपस फण्ड (Corpus Fund) बनाकर संकलित की जायेगी। इस फण्ड से प्रदेश की विभिन्न मंडी समितियों / क्षेत्रों में कृषि विपणन को सुगम बनाने के लिये विभिन्न अधोसंरचनाएं जैसे ग्रेडिंग प्लान्ट, आधुनिक भण्डारण प्रणाली, सायलो बैग, परिवहन सुविधा पैकेजिंग, ग्रेडिंग क्वालिटी कन्ट्रोल, शीतगृह इत्यादि निर्मित किये जाने में की जायेगी। इस राशि का उपयोग भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं में मेचिंग शेयर लगाने में भी किया जा सकेगा।"

preeti/latter

इस प्रकार कुल राशि की 50 प्रतिशत राशि मंडी बोर्ड के कारपस फण्ड (Corpus Fund) में जमा कराना अनिवार्य होगा। तदाशय का एग्रीमेन्ट/वचनपत्र रू0 1000/– (रू. एक हजार मात्र) के स्टाम्प पेपर पर संबंधित मंडी समिति द्वारा मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः आप अपने संभाग के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों के पुराने प्रांगण की भूमि के उपयोग के संबंध में उक्त निर्देशो का कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/16/2/ब/1014 भोपाल,दिनांक 01/12/14

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक (समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. कार्यपालन यंत्री आंचलिक कार्यालय/निर्माण संभाग.......................... म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति...........................जिला..........................(समस्त)

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

preeti/latter